न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

प्रार्थना–पत्र संख्या 228/19

1. अब्दुल हमीद पुत्र बदरूद्दीन जाति मुसलमान निवासी रिडमलसर सिपाहियान, तहसील व जिला बीकानेर

—— प्रार्थी ——

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत।

—— अप्रार्थी ——

प्रार्थना–पत्र नक्शा दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित अभिभाषक

1. राजेन्द्र सिंह शिमला अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज, कोलायत।

आदेश

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र ग्राम गंगापुरा के नक्शे में खसरा नम्बर गलत अंकित होने के कारण दुरूस्ती हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत श्री राजेन्द्र सिंह शिमला एडवोकेट के माध्यम से प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम गंगापुरा के खसरा 505/411 में रकबा 25 बीघा राजस्व रिकार्ड व नक्शे में सही था जो प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.12.2002 को अपने धारण की भूमि के नक्शे की नकल पटवारी हल्का से प्राप्त की थी जिसमें प्रार्थी के उत्तर की ओर खसरा नम्बर 550/411, दक्षिण की तरफ 437/411 एवं पश्चिम की तरफ 400/411 स्थित थे , परन्तु बाद में पटवारी हल्का द्वारा बदमाशी करके प्रार्थी के धारण की भूमि के वर्तमान खसरा नम्बर कांटछांट करते हुए खसरा नम्बर 530/411/2 अंकित कर दिये गये जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है।

सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को नोटिस जारी कर तामिल करवाया गया। उसके बाद अप्रार्थी उपस्थित हुआ और प्रार्थना–पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी ने जवाब में बताया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में खसरा नम्बर 505/411 अब्दुल हमीद के नाम दर्ज है परन्तु नक्शे में 530/411/2 दर्ज है उक्त खसरा राजस्व रिकार्ड में गुरमुख सिंह, पूर्ण सिंह पुत्रगण उजागर सिंह के नाम दर्ज है। अप्रार्थी ने बताया कि उपनिवेशन पटवारी द्वारा जारी नकल दिनांक 12.12.02 के नक्शा लट्ठा ट्रेस में खसरा नम्बर 505/411 दर्जशुदा है। इसलिए अप्रार्थी ने नक्शा में खसरा नम्बर दुरूस्त करने में कोई आपत्ति नहीं की गई।

हमने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों का अध्ययन किया व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व दस्तावेजों का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकला कि नक्शे में दुरूस्ती किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है व दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है कि ग्राम गंगापुरा के खसरा नम्बर 530/411/2 के स्थान पर 505/411 की दुरूस्ती नक्शे में करने के आदेश दिये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 14.11.2019 को सुनाया गया।

(प्रदीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2019.12.12 16:24:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: